चन्दन सिंह बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।
(खण्डपीठ सिविल रिट याचिका (बन्दीप्रत्यक्षीकरण) संख्या-9154/2006)

23.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

माननीय न्यायाधिपति श्री खेम चन्द शर्मा

श्री हिम्मत सिंह, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री एम.एल.गोयल, अति.राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि यह बन्दीप्रत्यक्षीकरण याचिका प्रभावशून्य हो चुकी है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए यह रिट याचिका प्रभावशून्य हो जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।

(न्या. खेम चन्द शर्मा) (न्या. शिव कुमार शर्मा)